

आदेश की
कम सं०
और
तारीख



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण वाद सं०—05/2022

राज्य-बनाम-यदुनन्दन भोक्ता एवं अन्य

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी
तिथि सहित

07/06/24

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक-4730/अप०शा० दिनांक 28.09.2022 के आलोक में ताराटांड थाना कांड सं०-25/22, दिनांक 02.06.2022, धारा-379/414 भा०द०वि०, 4(1)/4(1)A21/22 Mines Minerals(Regulation & Devlopment) Act 1957 & 4/54 Jharkhand Mines and Mineral Concession Rule 2004 & The Jharkhand Mineral (Prevention of illegal Mining Transportation and Storage) Rule 2017 & 13 Jharkhand Mineral (Prevention of illegal mining, Transportion and storage) Rule-2017 में अनुसंधानकर्ता द्वारा जप्त ट्रैक्टर नं०-JH11AE-8853 एवं डाला नं० JH11AE-2285 के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं० 05/2022 राज्य-बनाम-यदुनन्दन भोक्ता एवं अन्य (ताराटांड थाना कांड सं० 25/22 में जप्त वाहन) का संधारण कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं० 09/2022 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका-6 जो निम्नवत् है:-

"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."

प्रति.

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं० 05/2022 राज्य-बनाम-यदुनन्दन भोक्ता एवं अन्य) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित,

९५०३/०६/२५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

९५०३/०६/२५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....५५५...../न्या० दिनांक.....७/६/२०२५

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक-4730/अप०शा० दिनांक 28.09.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

९५०३/०६/२५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।